

वादी

बनाम

प्रतिवादी

हरिदिंड वर आगराई
बाण्डर निरीयेडा

महनासई वर आगराई
बाण्डर निरीयेडा

किस्म मुकदमा बाण्डर वाद अधीन धारा 53, 188 R.A.C. मु.नं. 154/2018



हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

5.6.18

प्रस्तुत वाद वादी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ अर्जेंट द्वारा 53, 188 R.A.C के तहत पेश किया वादीका आवेदन बाण्डर धारा 53, 188 R.A.C के तहत हर्ज शर्मा ही वादी को सुन वादी ने कथन किया की ग्राम शेरडा के खण्ड 271 ने खादेगीची गौरीचन्दा सुडा पत्नी ने प्रतिवादीगण परेशान कर कब्जा करने पर उतारु ही उन्हें पखण्ड करमावे प्रतिवादीगण को कोष में बुलाया गया प्रतिवादीगण उपर खरपय गा.पं. रूपपुरा शेरडा उपर पक्षकाराण को आपस में बँधना सामाजिक करने पर बरवांरा कराने पर सहमत होने से किंग में उपनिर्त तहसीलदार लुपामन को निर्देश दिये गये की पक्षकाराण का शीनामा जाफ़ि के बरवांरा करी पक्षकाराण द्वारा शीनामा पेश किया किंग रूपपय ने एंताइर किंग शीनामा डरा. 1810 किंग मिल वादीके आवेदन बाण्डर में कार्यवाही होखे गयी होने से पक्षकाराण कोष में बंधना हुआ है किंग अरु आम किंग रूपपुरा शेरडा में बुलाया गया

राजेश्वर अहि मारी
रुजम. सिटी (नमोर)